



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246897
CG-DL-E-30062023-246897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]
No. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

सा.का.नि. 472(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, लोकहित में आवश्यक समझते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में 16 मई, 2023 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 के नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा और 16 मई, 2023 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा अर्थात्:-

"7. भारत के बाहर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग -- नियम 5 में अंतर्विष्ट कोई भी बात, भारत से बाहर दौरे पर ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा भुगतान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगी।"

[फा. सं. 1/5/2023- ईएम]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

टिप्पण : यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 381(अ), तारीख 3 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए थे:-

- (i) सा.का.नि.663(अ), तारीख 09-08-2000;
- (ii) का. आ.301(अ) तारीख 30-03-2001;
- (iii) सा.का.नि.831(अ), तारीख 17-12-2002;
- (iv) सा.का.नि.33(अ), तारीख 15-01-2003;
- (v) सा.का.नि.397(अ), तारीख 01-05-2003;
- (vi) सा.का.नि.731(अ), तारीख 05-09-2003;
- (vii) सा.का.नि.849(अ), तारीख 27-10-2003;
- (viii) सा.का.नि.608(अ), तारीख 13-09-2004;
- (ix) सा.का.नि.512(अ), तारीख 27-07-2005;
- (x) सा.का.नि.412(अ), तारीख 10-07-2006;
- (xi) सा.का.नि.349(अ), तारीख 22-05-2009;
- (xii) सा.का.नि.382(अ), तारीख 05-05-2010;
- (xiii) सा.का.नि.426(अ), तारीख 26-05-2015; और
- (xiv) सा.का.नि.369(अ), तारीख 16-05-2023.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

G.S.R. 472(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 and sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in consultation with Reserve Bank of India, the Central Government having considered it necessary in the public interest hereby amends the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, with effect from the 16th May, 2023, namely:-

2. In the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 after rule 6, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 16th day of May, 2023 namely: -

“7. Use of International Credit Card while outside India.— Nothing contained in rule 5 shall apply to the use of International Credit Card for making payment by a person towards meeting expenses while such person is on a visit outside India.”.

[F. No. 1/5/2023-EM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy. (Financial Market)

Explanatory Memorandum

Note : It is certified that by giving retrospective effect to the present notification, no one will be adversely affected.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, *Part II, Section 3, Sub-section (i) vide* G.S.R. 381(E), dated the 3rd May, 2000 and subsequently amended *vide* notification numbers -

- (i) G.S.R. 663(E), dt 09-08-2000;
- (ii) S.O. 301(E) dt 30-03-2001;
- (iii) G.S.R. 831(E), dt 17-12-2002;
- (iv) G.S.R. 33(E), dt 15-01-2003;
- (v) G.S.R. 397(E), dt 01-05-2003;
- (vi) G.S.R. 731(E), dt 05-09-2003;
- (vii) G.S.R. 849(E), dt 27-10-2003;
- (viii) G.S.R. 608(E), dt 13-09-2004;
- (ix) G.S.R. 512(E), dt 27-07-2005;
- (x) G.S.R. 412(E), dt 10-07-2006;
- (xi) G.S.R. 349(E), dt 22-05-2009;
- (xii) G.S.R. 382(E), dt 05-05-2010;
- (xiii) G.S.R. 426(E), dt 26-05-2015; and
- (xiv) G.S.R. 369(E), dt 16-05-2023